पटना में दिनांक–16 जून, 2020 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

स्वास्थ्य विभाग

1. डा० (श्रीमती) संजु प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बरौली, गोपालगंज को दिनांक 26.07.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

2. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना में प्राध्यापक के 08 (आठ) पद, सह–प्राध्यापक के 28 (अठाइस) पद, सहायक प्राध्यापक के 54 (चौवन) पद एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10 (दस) पदों अर्थात कुल 100 (एक सौ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

3. बिहार संग्रहालय समिति, पटना (राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन अधिनियम–1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान) के कार्यकारणी समिति के स्वरूप में परिवर्तन कर विस्तारित कार्यकारणी समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति। — **3. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. रोहतास जिलान्तर्गत अंचल–सासाराम के मौजा– कंचनपुर, थाना सं०–235, खाता सं०–236 के खेसरा सं०–183 एवं 381 में रकबा क्रमशः– 0.79 डी० एवं 5.63 डी० में कुल रकबा–6.42 डी० अनावाद बिहार सरकार किस्म जंगल झाड़ी एवं नदी भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०–02 के चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

विधि विभाग

6.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में कम्प्यूटर कोषांग के लिए पूर्व में अस्थायी रूप से सृजित विभिन्न तकनीकी पदों (कुल 9 पदों) के स्थायीकरण के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2020–21 में तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना से ₹1,20,00,00,000.00 (एक अरब बीस करोड़) रूपये राशि की स्वीकृति एवं तत्काल ₹40,00,00,000.00 (चालीस करोड़) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति संबंध में।	7.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदंड के अनुसार राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में स्नातक में 100 सीट एवं 5 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कुल 30 पदों के सृजन के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

9.	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले अत्यधिक खराब कार्य–कलाप /प्रदर्शन वाले अभियंता संवर्ग के कुल छः (06) पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

10.	श्री दीपक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–मोतिहारी (सम्प्रति निलंबित) निर्धारित मुख्यालय, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या–02, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पद से संबंधित कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–1494 (भ०) दिनांक–16.02.2018 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (ix) के तहत वृहत दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।